संख्या– 424 /xxiv (7) 5(2)/2009

प्रेषक,

डी0 सैंथिल पाण्डियन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी,नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–7 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 17 मार्च 2011

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–2011 में राजकीय महाविद्यालय गुप्तकाशी (कालीमठ) रुद्रप्रयाग में टिन शेड निर्माण हेतु पुर्नविनियोग के द्वारा धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या डिग्री विकास/15874/2010–11 दिनांक 2–2–2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के परिपालन में राजकीय महाविद्यालय गुप्तकाशी (कालीमठ) रुद्रप्रयाग में टिन शेड निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा गठित एवं टी.ए.सी. द्वारा परीक्षित/अनुमोदित आगणन ₹ 10.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उक्त के सापेक्ष संलग्न बी0एम0–15 के अनुसार पुर्नविनियोग के माध्यम से ₹ 10.00 लाख (₹ दस लाख मात्र) को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 में व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।:–

2. प्रस्तावित कार्य भूमि हस्तान्तरण के पश्चात अथवा हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित भूमि पर टिन शेड निर्माण की सम्बन्धित विभाग से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही धनराशि का आहरण कर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3. स्वीकृत धनराशि का आहरण निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा करने के उपरान्त सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण लो0नि0वि0 के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

4. स्वीकृत धनराशि को निर्धारित कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में व्यय नहीं किया जायेगा तथा अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई व्यय नहीं किया जायेगा।

5. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

6. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्य स्थल का भली भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरुप ही कार्य कराया जाय।

7. मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/xiv–219(2006) दि 30–5–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई से पालन किया जाय।

8. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। शासनादेश संख्या 475/xxvii (7)/2008 दिनांक 15–12–2008 में निर्धारित प्रारुप पर कार्यदायी संस्था के साथ समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) हस्ताक्षरित करवाते हुये एक प्रति शासन को भी उपलब्ध करायी जाय ।

9. इस सम्वन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक की अनुदान सं0 11 के आयोजनागत पक्ष के अधीन लेखा शीर्षक–4202–शिक्षा खेल कूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय –01– सामान्य शिक्षा–203–विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा– आयोजनागत–04– राजकीय महाविद्यालयों के भूमि/भवन कय –24–बृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा तथा पुर्नविनियोग संलग्न बी0एम0–15 प्रपत्र के कालम–1 की बचतों से वहन किया जायेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 1013(p)/xxxvii(3)/2010 दिनांक 14–3–2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(डी0 सैंथिल पाण्डियन)
अपर सचिव

सं0 424 (1)/ xxiv (7) 5(2)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2– आयुक्त गढवाल मण्डल।
3– जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।
4–कोषाधिकारी हल्द्वानी–नैनीताल।
5– अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)।
6–प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय गुप्तकाशी (कालीमठ) रुद्रप्रयाग।
7–निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
8–बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय देहरादून।
9–वित्त अनु0–3/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
10–विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(वेदीराम)
अनु सचिव